रजिस्टर्ड नं० एल० 388

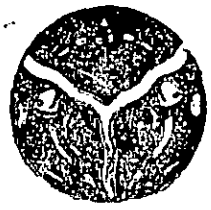

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 8 जून, 1973
ज्येष्ठ 18, 1895 शक संवत्

U. P. Act no. XXII of 1962.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1960/सत्रह-वि०--1-61-1972
लखनऊ, 8 जून, 1973

विज्ञप्ति
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 5 जून, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

घोषणा

2--एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1961 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के स्थान पर नयी धाराओं का रखा जाना

3--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्--

परिभाषाएं

"3--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(1) "बैंकिंग कम्पनी" का तात्पर्य वही है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में है;

(2) "अधिकतम क्षेत्र" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो;

(3) 'कम्पनी,' 'सरकारी कम्पनी' और 'सार्वजनिक कम्पनी' के वही अर्थ हैं जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 में कम्पनी, गवर्नमेन्ट कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनी के लिये है ;

(4) 'सहकारी समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति से है;

(5) 'निगम' का वही अर्थ है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में दिया गया है;

(6) 'डिग्री या स्नातकोत्तर कालेज' का तात्पर्य ऐसे कालेज से है जो किसी विश्व-विद्यालय के सम्बन्ध में सम्बद्ध, सहयुक्त अथवा संघटक कालेज हो;

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में, 'परिवार' का तात्पर्य स्वयं और (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न) उसके पति या उसकी पत्नी, जैसी भी दशा हो, अवयस्क पुत्रों और (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियों से है;

(8) 'बाग-भूमि' का तात्पर्य किसी जोत में ऐसी विशिष्ट भूमि से है जिस पर 24 जनवरी, 1971 के पूर्व इतनी संख्या में वृक्ष (जिसके अन्तर्गत पपीता, केला या अंगूर की लतायें नहीं हैं) लगाये गये हों कि उनसे, या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी यथेष्ट भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करना असम्भव हो जाय, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष बाग कहलायेंगे;

(9) 'जोत' का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव सभा के असामी या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी, अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 के अधीन शिकमी काश्तकार से भिन्न काश्तकार, या सरकारी पट्टेदार, अथवा यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो, तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हो:

(10) 'इण्टरमीडियेट कालेज' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त कालेज से है ;

(11) "सिंचित भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे नियत रीति से, किसी कृषि वर्ष में किसी राजकीय सिंचन संकर्म या निजी सिंचन संकर्म द्वारा आश्वस्त सिंचाई से कम से कम दो फसलें उगाने के लिए सक्षम अवधारित किया जाय;

(12) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(13) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के पद से नीचे का न हो, और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय;

(14) 'निजी सिंचन संकर्म' का तात्पर्य 15 अगस्त, 1972 के पूर्व निर्मित, निजी नलकूप, या चिरस्थायी जल स्रोत से जल-सम्भरण के लिये डिजल या विद्युत् शक्ति से परिचालित निजी लिफ्ट सिंचन संकर्म से है;

(15) 'राजकीय सिंचन संकर्म' का तात्पर्य नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 में यथापरिभाषित नहर, अथवा संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधि-नियम, 1936 में यथापरिभाषित राजकीय नलकूप, अथवा किसी चिरस्थायी जलस्रोत से जल-सम्भरण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित और डिजल या विद्युत् शक्ति द्वारा परिचालित लिफ्ट सिंचन संकर्म से है;

(16) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य किसी खातेदार द्वारा धृत और उस पर प्रयोज्य अधिकतम भूमि से अधिक भूमि से है तथा उसके अंतर्गत, उस पर विद्यमान किन्हीं इमारतों, कुओं और वृक्षों से भी है;

(17) 'खातेदार' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(क) कोई महिला जिसका पति खातेदार हो;

(ख) अवयस्क बच्चा जिसके पिता या माता खातेदार हों;

(18) 'असिंचित भूमि' का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि से है;

(19) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है;

(20) 'ऊसर भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऊसर अवधारित किया जाय; और

(21) जो शब्द तथा पद इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिये गये हैं।

अधिकतम सीमा तथा विमुक्तियों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र का अवधारण

4—धारा 5 के अधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी विमुक्ति के प्रयोजनार्थ—

(1) खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि या बाग-भूमि की ढाई हेक्टर भूमि अथवा ऊसर भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा;

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात्—

(क) बुन्देल खण्ड;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग;

(ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिले के यमुना के इस पार के भाग;

(घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है;

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी (दलाथे पहाड़);

(च) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है;

(छ) मिर्जापुर जिले में परगना सकटेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की अनुसूची 6 की सूची 'क' और 'ख' में उल्लिखित हैं;

(ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भूतपूर्व नौगढ़ तालुका का क्षेत्र;

(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना;

किसी असिंचित भूमि को ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा।

अधिकतम सीमा का आरोपण

5—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम;

(ख) विश्वविद्यालय;

(ग) स्नातकोत्तर कालेज;

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक;

(ङ) उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन संघटित भू-दान यज्ञ समिति।

(3) उपधारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हों तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि

का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी ।

स्पष्टीकरण--खंड (क) तथा (ख) में, पद 'वयस्क पुत्र' के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियां छोड़ गया हो जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षत्रफल 2 हेक्टर से कम हो ।

(ग) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला डिग्री कालेज हो--सिंचित भूमि के 20 हेक्टर;

(घ) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला इण्टरमीडियेट कालेज हो,--सिंचित भूमि के 12 हेक्टर;

(ङ) किसी अन्य खातेदार की दशा में--सिंचित भूमि का 7.30 हेक्टर ।

स्पष्टीकरण--उपधारा (6) तथा (7) के अधीन उपेक्षणीय भूमि के किसी अंतरण या विभाजन की उपेक्षा निम्नलिखित के लिए भी की जायेगी--

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र खण्ड (क) के अर्यान्तर्गत स्वयं खातेदार है या नहीं ;

(थ) धारा 9 के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ ।

(4) यदि कोई जोत किसी फर्म या सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय (चाहे वह निगमित हो या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी नहीं है), द्वारा धृत हो तो उस जोत को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके सदस्यों द्वारा (चाहे वे भागीदार, अंशधारी या किसी अन्य नाम से कहे जाते हों) उक्त फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय में उनके अपने-अपने अंश के अनुपात में धृत समझा जायगा ।

(5) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में,--

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उसके लाभार्थियों का अंश ज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा जिस अनुपात में ऐसे न्यास की आय में उनका अलग-अलग अंश हो;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा नियंत्रित होगा ।

(6) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की, जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी--

(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो ।

स्पष्टीकरण--यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी विभाजन की, जो ऐसा विभाजन न हो की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी--

(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन विभाजन;

(ख) उक्त दिनांक को विचाराधीन किसी वाद या किन्हीं कार्यवाहियों में किया गया जोत का विभाजन :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि खातेदार और विभाजन के किसी दूसरे पक्ष के बीच बुरभिसंधि के कारण ऐसे दूसरे पक्ष को ऐसा अंश दिया गया है जिसके लिये वह हकदार नहीं था, अथवा जितने के लिये वह हकदार था उससे अधिक अंश दिया गया है, तो वह ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति

6—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात् —

(क) वह भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् माल के निर्माण, परिरक्षण, भंडारकरण या प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ) प्रयुक्त हो और जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 143 के अधीन घोषणा विद्यमान हो;

(ख) वह भूमि जो आवास-गृह द्वारा अध्यासित हो;

(ग) वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है;

(घ) वह भूमि जो बाग, काफी या रबर प्लान्टेशनों के लिये प्रयुक्त हो, और वह भूमि जो नियत सीमा तक उससे संलग्न प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे प्लान्टेशनों के विकास के लिये अपेक्षित हो;

(ङ) वह भूमि जो चौबीस जनवरी, 1971 के पहले से किसी स्टड फार्म के प्रयोजनों के लिए नियत सीमा तक धृत हो;

(च) वह भूमि जो पहली मई, 1959 के पहले से किसी ऐसे सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था द्वारा या उसके अधीन धृत हो, जिसकी आय का पूर्ण उपयोग धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए किया जाता हो और वह ऐसा वक्फ, न्यास या विन्यास न हो जिसका पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभार्थी उसका संस्थापक या उसके परिवार के सदस्य या उसके वंशज हों ;

(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) गोशाला द्वारा धृत हो;

(ज) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकारी पट्टेदार को भूमि-सुधार तथा खेती के लिए अथवा ऐसी विशिष्ट फसल की खेती के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गई हों।

भूमि के अंतरण के लिये कतिपय संविदाओं के आधार पर वाद सम्बन्धी रोक

7—किसी भूमि के अंतरण के लिए, यदि ऐसा अंतरण धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय हो, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार

8—यदि खातेदार की पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उनके पास बची भूमि को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में, इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने के पूर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में, धृत भूमि समझा जायगा ।"

धारा 9 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 9 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, नियत प्राधिकारी, तत्सदृश सामान्य नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसके पास उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, उपधारा (1) में अभिदिष्ट विवरण-पत्र प्रस्तुत करने को कहेगा।

(3) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित किये जाने के योग्य हो, तो खातेदार उपधारा (1) में अभिदिष्ट अपने विवरण-पत्र के साथ ऐसे प्लाट या प्लाटों को रखने के सम्बन्ध में जिन्हें वे अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में

रखना चाहे, अपनी पत्नी की सम्मति भी प्रस्तुत करेगा और यदि उसकी पत्नी की सम्मति इस प्रकार प्राप्त न हो, तो नियत प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उस (पत्नी) पर पृथक् रूप से नोटिस तामील करायेगा।"

धारा 10 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 6 या 7 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 6 के अधीन" रख दिये जायं।

नयी धारा 12-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"12-क—धारा 11 या धारा 12 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने में नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, खातेदार द्वारा प्लाट या प्लाटों के सम्बन्ध में जिन्हें वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य, यदि कोई हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने पर या उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें, इंगित विकल्प को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने विवरण-पत्र में या किन्हीं अनुवर्ती कार्यवाहियों में इंगित किया गया हो :

कतिपय मामलों के सिवाय खातेदार का विकल्प माना जाना

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) नियत प्राधिकारी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली भूमि की संपार्श्विकता को ध्यान में रखेगा ;

(ख) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित की गई हो, और उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखे जाने वाले प्लाट या प्लाटों के संबंध में खातेदार द्वारा इंगित विकल्प के बारे में सम्मति न दी हो, तो नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, ऐसी रीति से अतिरिक्त भूमि घोषित करेगा कि खातेदार की पत्नी द्वारा धृत भूमि में से लिये जाने वाले क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्र में वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः धृत क्षेत्र का परिवार द्वारा धृत कुल भूमि में हो ;

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार या किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति या निगम या किसी सरकारी कम्पनी के पास गिरवी रखी गई भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, इस प्रकार गिरवी रखी गई भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी ;

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास, धारा 5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में अभिविष्ट किसी अंतरण या विभाजन विषयक किसी भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, ऐसे अंतरण या विभाजन विषयक भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायेगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे अंतरण या विभाजन का विषय हो तो ऐसा अंतरण या विभाजन, जहां तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है, शून्य समझा जायगा और सदैव से शून्य होगा; और—

(1) अंतरिती अपने द्वारा अंतरक को अग्रिम दिये गये प्रतिफल की आनुपातिक धनराशि को, यदि कोई हो, लौटाने के लिए दावा कर सकता है, और यह धनराशि धारा 17 के अधीन अंतरक को देय प्रतिकर पर और अधिकतम क्षेत्र के भीतर अंतरक द्वारा रखी गई किसी भूमि पर भी भारित होगी और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि को उस प्रभार की तुष्टि के लिये बेचा जा सकेगा ;

(2) विभाजन से सम्बन्धित (ऐसे खातेदार जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित की गयी हो, से भिन्न) कोई पक्ष जिसकी भूमि उक्त खातेदार की अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित की गयी हो, विभाजन को फिर से कराने का हकदार होगा।"

नयी धारा 13-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"13-क—(1) नियत प्राधिकारी, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, किसी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट भूल की परिशुद्धि कर सकता है :

कतिपय मामलों में अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी परिशुद्धि जिससे अतिरिक्त भूमि में वृद्धि हो, तब तक न की जायगी जब तक कि नियत प्राधिकारी ने खातेदार को ऐसा करने के अपने अभिप्राय की नोटिस न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 10, 11, 12, 12-क, 13, 14 और 15 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और धारा 10 को लागू करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नोटिस धारा 9 के अधीन नोटिस समझी जायगी।"

धारा 14 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 14 की—

(1) उपधारा (2) के अन्त में, उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय; अर्थात्—

"प्रतियन्ध यह है कि प्रभार, यदि कोई हों, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर, धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा"।

(2) उपधारा (3) में शब्द "या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार" के पश्चात् शब्द "या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं;

(3) उपधारा (7) में शब्द "या खातेदार के पट्टेदार" के पश्चात् शब्द "या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं।

धारा 16 का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 16 निकाल दी जाय।

नयी धारा 17-क तथा 17-ख का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"17-क—धारा 17 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था को जिसकी आय का आंशिक उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, प्रतिकर के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात्:—

(1) ऐसे वक्फ, न्यास, विन्यास अथवा संस्था द्वारा धृत अतिरिक्त भूमि को उस अनुपात में दो भागों में विभाजित समझा जायगा जिस अनुपात में उसकी आय का अंश धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो अथवा अन्यथा;

(2) जहां तक उक्त अतिरिक्त भूमि के उस भाग का सम्बन्ध है जिसकी आय का उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के स्थान पर, नियत रीति से अवधारित की जाने वाली ऐसी वार्षिक धनराशि दी जायगी जो 1 जुलाई, 1972 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वास्तविक शुद्ध लाभ के वार्षिक औसत के बराबर होगी, और धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्ध आवश्यक संशोधनों के साथ उक्त वार्षिक धनराशि के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के लिये लागू होते;

(3) शेष अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई वक्फ, न्यास, विन्यास, या संस्था यह दावा करे कि इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू हैं तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा।

कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना

17-ख—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपील पर दिये गये किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अन्य आदेश के परिणाम स्वरूप धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को अंतरित या उसमें निहित किसी भूमि का कब्जा किसी खातेदार को या उसके हित-उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् लौटाना अपेक्षित हो, तो प्रतिकर अधिकारी यह आदेश देगा कि वह दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि, या जैसी भी दशा हो, आनुपातिक धनराशि वापस कर दें।

(2) ऐसी कोई धनराशि जो अदत्त रह जाय, राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

धारा 24 का निकाला जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 24 निकाल दी जाय।

धारा 27 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 27 की—

(1) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "गांव समाज" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिये जायं;

(2) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय ; अर्थात्—

"(2) राज्य सरकार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या तो उपधारा (1) या उपधारा (3) के अनुसार कर सकती है या धारा 25 के अनुसार उसका प्रयोग कर सकती है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है या उसका प्रबन्ध कर सकती है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्यथा कार्यवाही कर सकती है;"

(3) उपधारा (3) में शब्द 'सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट मंडल में रहने की अर्हता लागू न होगी' निकाल दिये जायं।

(4) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"(4) आयुक्त ऐसे बन्दोवस्त की स्वतः जांच कर सकता है तथा किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बन्दोवस्त अनियमित है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त हुआ है, हेतुक दर्शित करने की नोटिस देने के पश्चात्—

(1) बन्दोबस्त और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात्, किसी विधि या उपकरण में किसी बात के होते हुये भी उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त किया गया हो या पट्टा निष्पादित किया गया हो अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, ऐसी भूमि में, अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायगा तथा ऐसी भूमि राज्य सरकार को लौट जायगी, और

(2) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय, और उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन पारित आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

(6) निम्नलिखित अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन स्वतः कार्यवाही करते हुये आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है और उक्त उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है —

(क) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये बन्दोवस्त या निष्पादित पट्टे की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष के भीतर; और

(ख) किसी अन्य दशा में उस आदेश के दिनांक से दो वर्ष के भीतर जब कलेक्टर ऐसे बन्दोबस्त के लिये निदेश दे।

(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मण्डल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

धारा 28 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) निकाल दी जाय।

धारा 29 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय ; अर्थात्—

"29—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात्—

अग्रेतर भूमि का अतिरिक्त भूमि के रूप में अनुवर्ती घोषणा

(क) किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप या प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप चिरभोग द्वारा कोई भूमि किसी खातेदार द्वारा धृत हो जाय, और ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से ही धृत भूमि को मिला कर, उसके लिए प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय ; या

(ख) कोई असिंचित भूमि राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि हो जाय, या कोई बाग-भूमि बाग के रूप में न रह जाय, या इस अधिनियम के अधीन विमुक्त कोई भूमि विमुक्त श्रेणियों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत न रह जाय, तो अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण किया जायगा और तद्नुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारित की जाने योग्य होगी।"

धारा 30 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन या" निकाल दिये जायं।

धारा 34 का निकाला जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जाय।

धारा 42 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(1) पार्श्व शीर्षक में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटशन ऐक्ट, 1908" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम 1963" रख दिये जायं;

(2) शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5 तथा 12" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5, तथा 12" रख दिये जायं।

धारा 43 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 43 में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन आपत्ति सुनने के अधिकार को छोड़कर" निकाल दिये जायं।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

19—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष मूल अधिनियम की धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 या धारा 30 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिए विचाराधीन समस्त कार्यवाहियों का उपशमन हो जायगा और नियत प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2), जैसी कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के अधीन नोटिस जारी करके उक्त अधिनियम के अधीन अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के लिए फिर से कार्यवाहियां शुरू करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में अधिकतम क्षेत्र का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायगा—

(क) प्रथमतः अधिकतम क्षेत्र का अवधारण मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार किया जायगा;

(ख) तत्पश्चात्, अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में, जिससे सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तिम रूप से अवधारित कर दी गयी हो, मूल अधिनियम की धारा 14 या अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन कोई कार्यवाही ऐसी भूमि के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) और 13-क, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के उपबन्धों की प्रयोज्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है।